

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत किशनगंज को 7 इकाई 50 शैय्या वाले बालक छात्रावास के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राज्यांश की प्रथम किस्त की राशि ₹ 262.50 लाख (दो करोड़ बासठ लाख पच्चास हजार) मात्र की स्वीकृति में आंशिक संशोधन के संबंध में ।

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 576 दिनांक 10.2.15 द्वारा निर्गत की कांडिका-4 में अंकित शर्तों में निम्न रूप से आंशिक संशोधन की जाती है ।

2. उक्त राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा कि जायेगी ।
3. उक्त राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर अग्रिम के रूप में की जाएगी ।
4. उक्त राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को भेजेंगे, जो उक्त राशि को अपने पी0एल0 खाता 238 में जमा करेंगे।
5. बाकी सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी ।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव
पटना, दिनांक

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव
पटना, दिनांक

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जाती है ।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

पटना, दिनांक 27/3/15

ज्ञापांक :- 664

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, किशनगंज / जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

स्पीड पोस्ट

सरकार के प्रधान सचिव

27.3.15